राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

कमांक : प.5(77)खान/ग्रुप–2/2007 जयपुर, दिनांक 9 NOV 2010

अधिसूचना

निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 29.12.2006 को विज्ञप्ति प्रकाशित कर निकट ग्राम लसरावन–जावदा तह0 निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ में वृहद् सीमेन्ट प्लाण्ट स्थापित करने के लिए खनन पट्टा अनुदान हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे जिसके अनुसरण में मैसर्स सौराष्ट्र सीमेन्ट लि0 के पक्ष में प्राथमिकता निर्धारित करते हुए खनन पट्टा अनुदान हेतु मन्शा पत्र (Letter of Intent) दिनांक 08.06.2007 को जारी किया गया । आवेदक कम्पनी द्वारा मन्शा पत्र की पूर्ति नहीं किए जाने पर आवेदक कम्पनी का आवेदन पत्र दिनांक 29.01.2007 समसंख्यक आदेश दिनांक 04.11.2010 के द्वारा अस्वीकृत किया गया ।

इसी कम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में निर्धारित सीमेंट संयंत्र स्थापना हेतु आवश्यक शर्तों में संशोधन के कारण उक्त ब्लाक के संदर्भ में सभी पुराने लम्बित आवेदन पत्र निरस्त माने जायेंगे तथा निकट ग्राम लसरावन–जावदा तह0 निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ ब्लॉक पर नये सिरे से खनिज लाइमस्टोन (सीमेंट ग्रेड) के खनन पटटा अनुदान हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2011 से 09 फरवरी, 2011 तक की अवधि में निम्नलिखित शर्तों पर कार्यालय सहायक खनि अभियंता, निम्बाहेड़ा में आमंत्रित किये जाते हैं :–

(i) उक्त क्षेत्र में 10 जनवरी, 2011 से 09 फरवरी, 2011 तक प्राप्त आवेदन पत्रों को एक ही दिन में प्राप्त माना जायेगा तथा इनका निस्तारण एम.एम. डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 11(3) सपठित धारा 11(4) के अन्तर्गत किया जायेगा । 10 जनवरी, 2011 से पहले प्राप्त आवेदन पत्रों को निरस्त माना जायेगा ।

(ii) आवेदक इस क्षेत्र में उपलब्ध खनिज लाइमस्टोन के भण्ड़ारों के आधार पर एक बड़ा सीमेंट संयंत्र खनन पट्टा स्वीकृति से 3 वर्ष अधिकतम अवधि में स्थापित करेगा, जिसकी वार्षिक क्षमता कम से कम 15 लाख टन सीमेंट उत्पादन की होगी । निर्धारित अवधि में सीमेंट प्लांट स्थापित करने की पुष्टि हेतु कीननेस मनी के रूप में दो करोड़ रूपये प्रति 10 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता (प्रति मिलीयन टन प्रतिवर्ष) की दर से बैंक गारंटी, मंशा पत्र (Letter of Intent) जारी करने से पूर्व देनी होगी तथा खनन पट्टा संविदा निष्पादन से पूर्व एफडी (FDR) के रूप में जमा करवानी होगी । कीननेस मनी की गणना इस विभाग के पत्र क्रमांक प. 2(1)खान/ग्रुप–2/2010/50 दिनांक 04.11.2010 के अनुसार की जाएगी । खनन पट्टा स्वीकृती से तीन वर्ष की अवधि में सीमेंट प्लांट स्थापित नहीं करने पर कीननेस मनी जब्त कर ली जायेगी तथा खनन पट्टा रद्द कर दिया जायेगा।

(iii) सीमेंट उत्पादन के लिए राज्य में उत्पादित लिग्नाइट खनिज का उपयोग उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा ।

(iv) उक्त क्षेत्र में विभाग द्वारा पूर्वेक्षण हेतु जो भी धनराशि व्यय की हुई है, उसे खनन पट्टा स्वीकृति होने पर राजकोष में जमा कराना होगा ।

(v) यदि क्षेत्र में एस.एम.एस. ग्रेड लाइमस्टोन निकलता है तो वह आर.एस.एम.एम. लि0 के माध्यम से स्टील प्लांटों को नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर निर्गमित किया जायेगा ।

ब्लॉक निकट ग्राम लसरावन–जावदा, तह0 निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़
विवरण सूची

से	तक	बियरिंग	दूरी (मीटर में)
टी.आई. 450	ए	123^{0}–30′	1650
ए	बी	90^{0}–00′	450
बी	सी	180^{0}–00′	2100
सी	डी	270^{0}–00′	1700
डी	ई	180^{0}–00′	1700
ई	एफ	90^{0}–00′	250
एफ	जी	180^{0}–00′	1050
जी	एच	270^{0}–00′	1500
एच	आई	360^{0}–25′	4850
आई	ए	90^{0}–00′	2500
कुल क्षेत्रफल 898.50 हैक्टेयर			

आज्ञा से,

ह0

(शिव कुमार अग्रवाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–
1. प्रमुख शासन सचिव, महा0राज्यपाल /मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, खान राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अधीक्षण खनि अभियंताओं / खनि अभियंताओं / सहायक खनि अभियंताओं / अधीक्षण भू–वैज्ञानिकों / वरिष्ठ भू–वैज्ञानिकों को इस अधिसूचना की प्रति भिजवाने की व्यवस्था करें, साथ ही अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर भी अप लोड किया जावे । उपरोक्तानुसार लंबित आवेदन पत्रों को तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें ।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति सहित प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में तत्काल प्रकाशन करा राजपत्र की प्रति इस विभाग एवं निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर को भिजवाना सुनिश्चित करें । अधिसूचना की सी0डी0 संलग्न है।
3. रक्षित पत्रावली ।

4655
12/11/10

(प्रहलाद सिन्हा)
शासन सहायक सचिव

SME II

12-11-10 AD(G)